तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3368/2006/पाली देवीसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ **श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री डूंगरसिंह, अभिभाषक अपीलान्ट। श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उपराजकीय अधिवक्ता, सरकार। **निर्णय** **दिनांकः– 06–01–2020** यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (तत्पश्चात अधिनियम) के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–06–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आलोच्य आदेशानुसार न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा पेश की गयी अपील को अपास्त कर तहत न्यायालय के आदेश को यथावत रखा है। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारणों को युक्तियुक्त कारण मानकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अतः हम हस्तगत अपील का गुणावगुण पर निर्णय करना उचित समझते हैं। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष को अपील के श्रवणार्थ ग्राहयता के बिन्दु एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के संबंध में सुना। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत बताया है। उन्होंने कहा कि अपीलार्थी ने अपने पक्ष के समर्थन में राजस्व रेकार्ड यथा जमाबंदी, नामान्तरकरण तथा आवंटन आदेश की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3368/2006/पाली देवीसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतियां पेश कर दी गई है तथा मौके पर अपीलार्थी द्वारा वृक्ष लगाये जाने के संबंध में समुचित साक्ष्य पेश कर दी गई है। उनका आगे कहना है कि साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सिद्धि भार के क्रम में प्राथमिक सबूत का भार विपक्षी पर था कि वह मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत प्रथम दृष्टया आवंटन अपास्त के आधार की अपीलार्थी ने वन विकास नहीं किया, को सिद्ध किया जाता। जिसे विपक्षी ने किसी भी तरह से साबित नहीं किया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी के मौके पर पूर्व वर्णित लगभग 1500 वृक्ष अवस्थित रहे जो कि व्यावहारिक तौर पर एकाएक तो उत्पन्न नहीं हो सकते, जिन पर बाधा उत्पन्न करने पर कार्यवाही सम्पादित की गई, जो कि मौके पर वृक्ष लगाये जाने की पुष्टि करता है। उनका यह भी तर्क है कि यदि न्यायालय उनके द्वारा पेश साक्ष्य से संतुष्ट नहीं था तो न्यायालय को आदेश 26 नियम 1 सीपीसी के तहत मौके का निरीक्षण करवाया जाना चाहिए था। उक्त समस्त तथ्यात्मक परिवेश में आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04-06-2005 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-04-1998 को अपास्त कर प्रार्थी के पक्ष में पारित किया गया आवंटन आदेश दिनांक 25-04-1986 को यथावत बाहल रखे जाने की प्रार्थना की है। इसके विपरीत उपराजकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत अपील का विरोध करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को विधि सम्मत होना कहा है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3368/2006/पाली देवीसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उनका कहना है कि अपीलार्थी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना में किसी प्रकार का वृक्षारोपण नहीं किया है तथा इस बाबत अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। सारांशतः अपीलार्थी आवंटन शर्तो की अक्षरश पालना नहीं किए जाने का दोषी है। तदनुसार मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण ऐसे आदेश के विरूद्ध पेश की गयी अपील से अपीलार्थी को अनुतोष देय नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील को खारिज कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन एवं अध्ययन किया है। प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि अपीलार्थी ने आवंटन की शर्तो की पालना में वृक्षारोपण नहीं किया है। जबकि अपीलार्थी को राजस्थान भू राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृषि योग्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम 1986 के तहत भूमि का आवंटन निजी वन विकास हेतु किया गया है। उक्त आदेश के अनुसरण में निजी वन विकास आवंटन की मुख्य शर्त है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत रकबे पर वृक्षारोपण किए जाने बाबत न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की प्रलेखीय साक्ष्य पेश नहीं की है। अपीलार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में राजस्व रेकार्ड यथा जमाबंदी, नामान्तरकरण की प्रतियां पेंश की है। इस बाबत यहां उद्धरित किया जाना समीचीन है कि राजस्व रेकार्ड पेश किया जाना एक अलग तथ्य है तथा आवंटन की शर्तो	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3368/2006/पाली देवीसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की पालना किया जाना एक अलग विषयवस्तु है। मामले में अपीलार्थी जरिये राजस्व रेकार्ड से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी होना नहीं पाये जाते है। हस्तगत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के प्रकाश में यह प्रथम दृष्टया साबित है कि अपीलार्थी ने आवंटन शर्तो की पालना सुनिश्चित नहीं की है। तदनुसार अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली ने आलोच्य आवंटन आदेश को अपास्त किया है, जिसमें किसी विधि का उल्लंघन अथवा अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग होना इंगित नहीं होता है। ऐसे आदेश को यथावत रखने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने किसी प्रकार की अनियमितता किया जाना प्रदर्शित नहीं होता है। अतः हमारे मतानुसार हस्तगत अपील के माध्यम से अपीलार्थी को किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है। अतः हमारी विनम्र राय में आक्षेपित आदेश विधि सम्मत होने के कारण ऐसे आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सारहीन होना प्रकट होती है। सारांशतः प्रस्तुत अपील में विधि का कोई उपचार उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलार्थी किसी प्रकार से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील सारहीन होना प्रकट होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होना प्रकट होती है। तदनुसार प्रस्तुत अपील श्रवणार्थ ग्राहयता के स्तर पर ही सारहीन पाये जाने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	